

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

प्रकीर्ण आवेदन संख्या :- 469/11/2022

अब्दुल शरीफ उर्फ मास्टर

प्रति

वसीम आदि

धारा :- 156(3) दं०प्र०सं०

थाना :- सिविल लाइन, अलीगढ़।

CNR No.UPALO40190052022

29-07-2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी अब्दुल शरीफ उर्फ मास्टर के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अं०धारा 156(3) दं०प्र०सं० पर नियत दिनांक से पूर्व की दिनांक पर सुना जा चुका है।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थी अब्दुल शरीफ उर्फ मास्टर की ओर से विपक्षीगण वसीम, मोहम्मद सलीम खान तथा रिजवान उर्फ सोनू उर्फ सलीम के विरुद्ध अं०धारा 156(3)दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षीगण के विरुद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने के आदेश पारित किये जावे।

प्रार्थनापत्र में प्रार्थी का कथन इस प्रकार है कि उसके मौहल्ले के वसीम व मोहम्मद सलीम खान, रिजवान उर्फ सानू उर्फ समीम, द्वारा 10 सदस्यों को साथ लेकर चलाई जा रही कमेटी में उसको सम्मिलित किया गया था, जिसमें उसने 1,30,000/-रुपये की दो कमेटी की धनराशि 2,60,000/-एक मुश्त जमा किया था। विपक्षीगण द्वारा उसके द्वारा दिये गये रूपयों की रसीद लिख दी थी, जिस पर वसीम जनरल स्टोर गोल मार्केट जमालपुर अलीगढ़ फोन नम्बर 9319757855 की मौहल लगी है और वसीम ने अपने हस्तलेख में उसकी डायरी पर दिनांक 20-02-2021 को 1,30,000/-रुपये दिये सोने को व अब्दुल शरीफ ने तथा दिनांक 20-12-2021 को 2,00,000/-रुपये देगा व दूसरी रसीद इसी तरह दिनांक 21-01-2021 को लिखकर दी। इस तरह प्रार्थी को उक्त लोगों के द्वारा 4,00,000/-रुपये वापिस करना था। इसी तरह सभी मैम्बरों द्वारा विपक्षीगणों को रूपया दिया गया समय पूरा होने के बाद उक्त लोगों ने जब प्रार्थी एवं अन्य मैम्बरों का दबाव देखकर घर का ताला लगाकर बेईमानी की नीयत से भाग गये हैं।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी की ओर से स्वयं का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति मय एक किता रजिस्ट्री रसीद तथा आधार कार्ड की प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में थाना सिविल लाइन से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि उभय पक्षों के मध्य रूपयो सम्बन्धी लेनदेन का विवाद है। प्रार्थनापत्र के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की जानकारी प्रार्थी के व्यक्तिगत ज्ञान में है। विवेचना से किसी भी नये तथ्य के प्रकट होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः इस सम्बन्ध में विवेचना कराये जाने का कोई आधार नहीं है। प्रार्थिया ने घटना का सम्पूर्ण विवरण

प्रार्थनापत्र में दिया है। घटना के गवाह भी प्रार्थी आसानी से न्यायालय के समक्ष अपने मामले को साबित करने के लिए प्रस्तुत कर सकती है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार के हैं कि यदि मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये तो भी न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से हो जायेगी।

जहाँ तक धारा 156(3)द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराए जाने की बाध्यता का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जोसफ माधुरी बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरि साक्षी 2001 (3) काइम 324, मौ0 युसुफ बनाम श्रीमती आफाक 2006 जे0आई0सी0 705, एलक पदमसी बनाम भारत संघ (2007)6ए0सी0सी0 171** में यह मत व्यक्त किया गया है कि दं0प्र0सं0 की धारा 156(3) के अन्तर्गत अन्वेषण के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र में.....,जिसमें मजिस्ट्रेट न्यायालय संज्ञान लिए जाने से पूर्व धारा 156(3)द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस के द्वारा अन्वेषण का आदेश कर सकता है या परिवाद पर संज्ञान लेकर परिवादी व उसके साक्षीगण का साक्ष्य धारा 200 व 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत जाँच कर सकता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0राज्य 2015 (6) एस0सी0सी0 287** में यह मत व्यक्त किया है कि धारा 156(3) द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायाल इलाहाबाद द्वारा **गुलाबचन्द उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य जे0आई0सी0 2002 पेज 853** में प्रतिपादित विधिक व्यवस्था के अनुसार यदि घटना का सम्पूर्ण विवरण व मुल्जिमान का विवरण प्रस्तुत किया गया है एवं मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायालय को विवेचना की आवश्यकता यदि प्रतीत होती है तो अध्याय 15 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करना ही न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मामले में पुलिस से अन्वेषण कराने हेतु कोई तथ्य शेष न होने के कारण परिवाद के रूप में दर्ज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी अब्दुल शरीफ उर्फ मास्टर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दिनांक 29-08-2022 को पेश हो।

दिनांक :- 29-07-2022

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलीगढ़।